

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्रीधर पीताम सिंह पब्लिक स्कूल
मोहोदइन पुरमेर मेरठ ।

पत्रांक- शिओसो/ **1268** /200**7**-200**8** दिनांक **28-03-2008**

विषय:- प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।


महोदय,

जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक _____ में लिये गये निर्णय के अनुसार शैक्षिक सत्र 200**7**-200**8** में आपके विधालय को प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता राजज्ञा संख्या 1873/25-6-98-18/एस/7-89, लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के लिये निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है ।

- 1- यह मान्यता जून 20 ~~12~~ **13** तक मान्य है । यदि 5 वर्ष की अवधिके भीतर पुनः मान्यता हेतु आवेदन नहीं किया तो यह मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 2- प्रबन्ध समिति विधालय में कार्यरत स्टाफ का वेतन अपने नीजि स्रोतों से देंगे ।
- 3- विधालय की समिति का नियमानुसार नवीनीकरण पूर्व समिति के चुनाव का अनुमोदन कराना नितान्त आवश्यक है ।
- 4- विधालय में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाये ।
- 5- इस कार्यालय की अनुमति के बिना किसी भी अध्यापक को न तो हटाया जाये और न ही रखा जाये ।
- 6- छात्रों को विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाये ।
- 7- विभागीय आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया जाये ।
- 8- शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को एवं बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

9

भवदीय,


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मेरठ ।

/200**7**-200**8** दिनांक **28/03/2008**

पृ०सं०- शिओसो/

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित ।

- 1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ ।
- 2- नगर शिक्षा अधिकारी, मदाना तथा मेरठ ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ ।